राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 600/2025

विक्रम सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. कार्यालय खनिज अभियंता मकराना।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, केवियटर

समक्षः– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे में अनुकम्पा नियुक्ति के आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर मार्च 2002 में की गई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनाँक 22.03.2002 को कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2013 में की गई। उसके पश्चात् अपीलार्थी की पदोन्नति वर्ष 2022 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर की गई। अपीलार्थी उक्त पद पर बिना किसी शिकायत के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत् रही है। अपीलार्थी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर खनिज अभियंता मकराना में कार्यरत् है तथा अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कोई कार्मिक कार्यरत् नहीं है। अपीलार्थी का पद रिक्त रखते हुए प्रत्यर्थी सं. 2 ने आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी का स्थानान्तरण खनि. अभियंता मकराना से निदेशालय, उदयपुर में किया गया है। प्रत्यर्थी सं. 2 ने बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये आलौच्य आदेश पारित किया है जो अवैध व अनुचित है तथा विधि विरूद्ध है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.10.2022 के द्वारा वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया था। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने स्वीकृत व रिक्त पद पर कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी वर्तमान में कार्यालय

खनिज अभियंता, मकराना में पदस्थापित है। किन्तु आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का बिना किसी कारण के ही केवल मात्र हैरान व परेशान करने के आशय से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी की पत्नी हेमकंवर जो गठिया बाय की बीमारी से पिछले 5 वर्ष से पीड़ित है तथा चलने–फिरने में असमर्थ है। जिन्हें पूर्ण रूप से बेडरेस्ट बता रखा है। उक्त बीमारी लाईलाज है। अपीलार्थी की पत्नी का लगातार ईलाज चल रहा है। उक्त बीमारी के कारण आये दिन अपीलार्थी को अपनी पत्नी को चिकित्सक को दिखाना होता है तथा ईलाज कराना होता है। अपीलार्थी की पत्नी की उक्त बीमारी के कारण अपीलार्थी को अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए परिवार के नजदीक ही पदस्थापित होना आवश्यक है तथा अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया गया है। किन्तु प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को उक्त तथ्यों को देखे बिना ही आलौच्य आदेश के द्वारा उदयपुर में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया है। (अनुलग्नक–2) राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 05.09.2024 के द्वारा निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर का स्थानान्तरण होने के बावजूद बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये आलौच्य आदेश जारी किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनाँक 15.01.2025 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय खनिज अभियंता, मकराना में ही पदस्थापित रखने के निर्देश दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पर कार्यरत है। प्रत्यर्थी सं. 2 ने आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण खनि. अभियंता मकराना से निदेशालय, उदयपुर में किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की पत्नी हेमकंवर जो गठिया बाय की बीमारी से पिछले 5 वर्ष से पीड़ित है तथा चलने–फिरने में असमर्थ है। जिन्हें पूर्ण रूप से बेडरेस्ट बता रखा है। उक्त बीमारी लाईलाज है। अपीलार्थी की पत्नी का लगातार ईलाज चल रहा है। उक्त बीमारी के कारण आये दिन अपीलार्थी को अपनी पत्नी को चिकित्सक को दिखाना होता है। अपीलार्थी की पत्नी की उक्त बीमारी के कारण अपीलार्थी को अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए परिवार के नजदीक ही पदस्थापित होना आवश्यक है तथा अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया गया है। अतः आलौच्य आदेश निरस्त कर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर खनि. अभियंता मकराना में ही पदस्थापित रख जाने का निवेदन जारी किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया आलौच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रशासनिक आवश्यकता के कारण पदस्थापित किया गया है। स्थानान्तरण सेवा का अभिन्न अंग है एवं नियोक्ता को यह अधिकार है कि वह

कार्मिकों के सेवाए प्रशासनिक आवश्यकता के अनुभव लेवे। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश में हम कोई नियमों का उल्लघंन नहीं पाते है। अपीलार्थी अपने पारिवारिक परेशानियों के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन कर सकता है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र अन्य लम्बित आवेदन भी इसी प्रकरण पर निस्तारित किए जाते है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य